न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम महुआखुर्द तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 224/2008 राजस्व वाद

उनवान

1. देबी लाल पिता छीतर तेली निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

--- (वादी)

बनाम

1. काना पिता जवारा तेली निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. नाना पिता जवारा तेली निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा जरिये शाखा प्रंबधक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री देबी लाल तेली ....वादी

दिनांक– 27.06.2017

राजस्व लोक अदाल केम्प मुकाम महुआखुर्द में वादी उपस्थित। आज दिनांक 27.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 88, 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम गोपालपुरा पटवार क्षैत्र बबराणा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी कम 01 लगायत 02 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है

1. देबीलाल पिता छीतर तेली निवासी बबराणा मु0वि0क0 एस0बी0बी0जे सरदारनगर (वादी)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
107	04–17/बी0ब0	2.18
कुल 1	रकबा 04–17 बीघा	2.18

2. काना नाना पिता ज्वारा तेली निवासी बबराणा मु0वि0क0 एस0बी0बी0जे0 सरदारनगर (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
107/1	00–06/बी0ब0	0.14
108	00–17/ब0द्वितीय	0.94
109	03–14/बी0ब0	1.66
कुल 3	रकबा 04–17 बीघा	02.74

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी कम 01, 02 के मध्य कम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01, 02 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 27.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम महुआखुर्द में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा